

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 24/2011 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2011/00075)

अनवान:

1. कृष्णा उर्फ माली कंवरी पुत्री स्व. मोडाराम पत्नी श्री पूनमचंद जाति निवासी पंवारसर बास बीकानेर।(मृत्तक)
- 1/1 पुनमचंद पुत्र कालूराम
- 1/2 गिरधारी पुत्र पुनमचंद
- 1/3 गजेन्द्र पुत्र पुनमचंद जाति माली निवासीगण पंवारसर बास बीकानेर वगैरह।

.....अपीलांट्स

बनाम

1. सूरजमल पुत्र स्व. मोडाराम जाति माली निवासी रेलवे स्टेशन के सामने, माता जी के मंदिर के पास, हरिजनों का मोहल्ला, नापासर, बीकानेर वगैरह।

.....रेस्पोडेंट्स

18.09.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी जैर अपील बाबत पक्षकारों के मध्य एक राजस्व वाद संख्या 25/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के समक्ष जैरकार था, जिसमें राजीनामा हो चुका है। दावे का राजीनामा के मुताबिक निर्णय हो चुका है। इसलिए अब इस अपील को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपनी अनापत्ति व्यक्त की। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर जरिये विद्वावल खारिज की जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.08.2024 की प्रति एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.02.2011 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अपीलांट्स इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं जरिये विद्वावल खारिज करवाना चाहते हैं। अतः अपील अपीलांट्स जरिये विद्वावल (withdrawal) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर

